स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/6/2015-ईएमएस दिनांक : 10 जुलाई, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
बिहार, पटना।

विषय : **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रथम स्तरीय जांच के उपरांत स्ट्रांग रूमों में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सुरक्षापरक उपाय-सीसीटीवी कैमरा संस्थापित करना-तत्संबंधी।**

महोदय,

मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उन स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा जहां प्रथम स्तरीय जांच के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें रखी जाती हैं-

क. <u>इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच के पूरे होने से लेकर मतदान केन्द्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रवाना किए जाने तक स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सुरक्षात्मक उपाय</u> :-

1. ईवीएम के प्रथम यादृच्छिकीकरण के बाद निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अपने निर्वाचन-क्षेत्र के लिए यादृच्छिक रूप से आबंटित कंट्रोल यूनिट (सीयू) और बैलट यूनिट (बीयू) का प्रभार ले लेंगे। निर्वाचन में उपयोग के निमित्त सीयू और बीयू समुचित सुरक्षा व्यवस्था के अधीन आर.ओ. के स्ट्रांग रूम अलग से ले जाई जाएंगी और उनकी 24x7 सुरक्षा की जाएगी। प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को वितरित प्रशिक्षण ईवीएम उसी परिसर के भीतर अलग स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी। स्ट्रांग रूम सील करते समय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रह सकते हैं और वे भी ताले पर अपनी सील लगा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को अग्रिम रूप से लिखित रूप में सूचित किया

जाना चाहिए ।

2. स्ट्रांग रूमों में केवल एक प्रवेश प्वाइंट तथा डबल लॉक प्रणाली होनी चाहिए। एक चाबी रिटर्निंग अधिकारी के पास और दूसरी संबंधित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास होनी चाहिए। स्ट्रांग रूमों के अन्य प्रवेश प्वाइंट (खिड़कियां सहित) इस तरीके से सीलबंद किए जाने चाहिए कि स्ट्रांग रूमों के भीतर कोई प्रवेश न कर पाए।
3. ईवीएम वाले स्ट्रांग रूमों के लिए प्रथम स्तरीय जांच के बाद चौबीसों घंटे सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं की जानी चाहिएं।
4. प्रथम स्तरीय जांच के बाद वाली ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम के प्रवेश प्वाइंट पर चौबीसों घंटे सीसीटीवी कवरेज होगा।
5. स्ट्रांग रूम के निकट और उसके भीतर अग्निशामकों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
6. सुरक्षाकर्मी द्वारा एक लॉग बुक मेनटेन की जाएगी जिसमें स्ट्रांग रूमों के निकट प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति की तारीख, समय, कालावधि और नाम(मों) के बारे में प्रविष्टि की जानी चाहिए। इसमें प्रेक्षकों या जिला निर्वाचन अधिकारियों या पुलिस अधीक्षकों या राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों या उनके एजेंटों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए विजिट शामिल हैं।

ख. <u>मतों की गणना के लिए स्ट्रांग रूमों में स्टोर की गई मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सुरक्षात्मक उपाय-तत्संबंधी।</u>

ऐसे स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मतों की गणना के लिए रखी जाती हैं-

1. स्ट्रांग रूमों में दोहरी लॉक प्रणाली होनी चाहिए। एक चाबी रिटर्निंग अधिकारी के पास होनी चाहिए और दूसरी संबंधित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास।

2. जिन स्ट्रांग रूमों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मतगणना के लिए रखी जाती हैं उनमें दोहरे घेरे की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। स्ट्रांग रूम से ठीक बाहर की सबसे भीतरी परिधीय सुरक्षा के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल की तैनाती की जानी चाहिए और सबसे बाहरी परिधीय सुरक्षा के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए।

3. निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए कि वे स्ट्रांग रूम की सुरक्षापरक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात करें। उन्हें भीतरी परिधि के बाहर एक ऐसे लोकेशन पर रुकने की अनुमति देनी चाहिए जिससे वे स्ट्रांग रूम के प्रवेश प्वाइंटों को देखने में सक्षम हो सकें। जहां तक संभव हो सके, उन्हें उपयुक्त शेड, पेय जल आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे लोकशन पर सीसीटीवी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे स्ट्रांग रूम दरवाजे को सीसीटीवी पर देख सकें।
4. स्ट्रांग रूम के निकट और उसके भीतर अग्निशामकों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
5. अप्रयुक्त ईवीएम की सुरक्षा के लिए भी चौबीसों घंटे सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. किसी को भी प्रोटोकॉल का पालन किए बिना भीतरी परिधि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रोटोकॉल, निम्नलिखित अनुसार है:-
   क. केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल (सीपीएफ) द्वारा लॉक बुक मेनटेन की जानी चाहिए जिसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति की तारीख, समय, कालावधि और नाम(मों) के बारे में प्रविष्टि की जानी चाहिए जो दूसरे सिक्यूरिटी रिंग यानि मध्यवर्ती पेरिमीटर को पार करें। इसमें प्रेक्षकों या जिला निर्वाचन अधिकारियों या पुलिस अधीक्षकों या उनके एजेंटों या किसी अन्य व्यक्ति के विजिट शामिल हैं।
   ख. सीपीएफ टुकड़ी को वीडियो कैमरे उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि ऐसे आगंतुकों द्वारा किए जाने वाले सभी विजिट्स की रिकार्डिंग की जा सके।
7. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां ईवीएम रखी गई हैं उन लोकशनों पर सम्पूर्ण समयावधि के दौरान अबाधित विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में विद्युत बोर्ड के चेयरमैन को अलग से लिखना चाहिए। स्थानीय विद्युत बोर्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए। अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड बॉय जेनरेटरों की आपातकालीन व्यवस्था की जानी चाहिए।
8. स्ट्रांग रूमों के सभी प्रवेश प्वाइंट (दरवाजे आदि) उपलब्ध वेब-कैम और लैप-टॉपों के इस्तेमाल से सतत वीडियोग्राफी में होने चाहिए। यदि स्ट्रांग रूम में अन्य दरवाजे हों तो उन्हें भी वैब-कैम/वीडियोग्राफी द्वारा कवर करना चाहिए।
9. रिटर्निंग अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह और शाम स्टोरेज कैम्पस (केवल भीतरी परिधि तक) विजिट करना चाहिए और लॉग बुक एवं वीडियोग्राफी की जांच करनी चाहिए और वस्तु-स्थिति पर डीईओ को प्रतिदिन एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

10. कोई भी वाहन, जिसमें किसी अधिकारी या मंत्रियों या कोई अन्य राजनीतिक पदाधिकारी का वाहन शामिल है, को उस सुरक्षित परिसर के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां ईवीएम स्टोर की गई हैं। वाहनों से उतरने का प्वाइंट बाह्य सुरक्षा परिधि से बाहर ही सुस्पष्ट रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए, इससे परे पैदल चलने का क्षेत्र होना चाहिए।
11. डीसी और एसपी को जिले के भीतर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के अत्यन्त सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

इस पत्र की प्रति सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, डीईओ, आरओ और सीपीएफ कमांडेंट को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

भवदीय,

(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव